उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
सचिवालय परिसर, 04–सुभाष रोड, देहरादून–248001

संख्या–199 / USDMA (Admin)-75(2021)

दिनांक: 29 अप्रैल, 2026

प्रतिनियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 1615 / /XVII-B-I / 2021–3(2) / 2016, दिनांक 30 नवम्बर 2021 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून के अन्तर्गत प्रशासनिक शाखा में सृजित पदोन्नति के निम्नलिखित रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित कार्मिक की पदोन्नति होने तक प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हेतु उत्तराखण्ड सरकार के विभिन्न राजकीय विभागों के इच्छुक कार्मिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है:–

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	सेवा शर्तें
01	**वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी**	वेतन लेवल–08 (अपुनरीक्षित 9300–34800 ग्रेड वेतन–4800)	01	1–विभिन्न राजकीय विभागों के निदेशालय / मण्डल मुख्यालय एवं जनपद स्तर पर कार्यरत समकक्ष कर्मचारी / अधिकारी जिन्हें नोटिंग ड्राफ्टिंग तथा आलेखन का पर्याप्त अनुभव हो एवं विभिन्न प्रकार के कार्यशाला / सेमीनार /आयोजन की व्यवस्था किये जाने तथा कार्यालय की प्रबंधकीय व्यवस्था का पर्याप्त अनुभव हो, ही प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। अन्य कार्यालयों के समकक्ष पदों पर कार्यरत कर्मचारी / अधिकारी के आवेदन पत्र प्रतिनियुक्ति हेतु स्वीकार / विचार नहीं किया जायेगा। 2–प्रतिनियुक्ति की अवधि 03 वर्ष अथवा पदोन्नति के माध्यम से अभ्यर्थी प्राप्त होने तक, जो भी पूर्व में घटित हो। 3– वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें इत्यादि शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों / नियमों के अधीन देय होंगे। 4–शासनादेशसंख्या–21/XXVII(7)/18-50(14)/ 2017, दिनांक 23 जनवरी 2019 द्वारा प्रतिनियुक्ति भत्ता समाप्त किये जाने के फलस्वरूप प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा। 5– 05 वर्षों की गोपनीय आख्याएं, जिनमें प्रविष्टि "उत्तम" से कम ना हो। 6–सतर्कता / जांच / अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित न होने एवं ना ही विचाराधीन होने संबंधी प्रमाण पत्र, जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो। 7–नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र।
02	**प्रधान सहायक**	वेतन लेवल–06 (अपुनरीक्षित 9300–34800 ग्रेड वेतन–4200)	01	1–विभिन्न राजकीय विभागों के निदेशालय /मण्डल मुख्यालय एवं जनपद स्तर पर कार्यरत समकक्ष कर्मचारी / अधिकारी जिन्हें नोटिंग ड्राफ्टिंग तथा आलेखन का पर्याप्त अनुभव हो, ही प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। अन्य कार्यालयों के समकक्ष पदों पर

				कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी के आवेदन पत्र प्रतिनियुक्ति हेतु स्वीकार/विचार नहीं किया जायेगा। 2–प्रतिनियुक्ति की अवधि 03 वर्ष अथवा पदोन्नति के माध्यम से अभ्यर्थी प्राप्त होने तक, जो भी पूर्व में घटित हो। 3– वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें इत्यादि शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों/नियमों के अधीन देय होंगे। 4–शासनादेशसंख्या–21/XXVII(7)/18-50(14)/ 2017, दिनांक 23 जनवरी 2019 द्वारा प्रतिनियुक्ति भत्ता समाप्त किये जाने के फलस्वरूप प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा। 5–05 वर्षों की गोपनीय आख्याएं, जिनमें प्रविष्टि "उत्तम" से कम ना हो। 6–सतर्कता/जांच/अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित न होने एवं ना ही विचाराधीन होने संबंधी प्रमाण पत्र, जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो। 7–नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र।
03	**वरिष्ठ सहायक**	वेतन लेवल–05 (अपुनरीक्षित 5200–20200 ग्रेड वेतन–2800)	02	1– विभिन्न राजकीय विभागों के निदेशालय/मण्डल मुख्यालय एवं जनपद स्तर पर कार्यरत समकक्ष कर्मचारी/अधिकारी जिन्हें नोटिंग ड्राफ्टिंग तथा आलेखन का पर्याप्त अनुभव हो, ही प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। अन्य कार्यालयों के समकक्ष पदों पर कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी के आवेदन पत्र प्रतिनियुक्ति हेतु स्वीकार/विचार नहीं किया जायेगा। 2–प्रतिनियुक्ति की अवधि 03 वर्ष अथवा पदोन्नती के माध्यम से अभ्यर्थी प्राप्त होने तक, जो भी पूर्व में घटित हो। 3– वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें इत्यादि शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों/नियमों के अधीन देय होंगे। 4–शासनादेशसंख्या–21/XXVII(7)/18-50 (14) /2017, दिनांक 23 जनवरी 2019 द्वारा प्रतिनियुक्ति भत्ता समाप्त किये जाने के फलस्वरूप प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा। 5–05 वर्षों की गोपनीय आख्याएं, जिनमें प्रविष्टि "उत्तम" से कम ना हो। 6–सतर्कता/जांच/अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित न होने एवं ना ही विचाराधीन होने संबंधी प्रमाण पत्र, जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो। 7–नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र।
04	**लेखाकार**	वेतन लेवल–06 (अपुनरीक्षित 9300–34800 ग्रेड वेतन–4200)	01	1– विभिन्न राजकीय विभागों के निदेशालय/ मण्डल मुख्यालय एवं जनपद स्तर पर कार्यरत समकक्ष लेखाकार जिन्हें नोटिंग ड्राफ्टिंग तथा लेखा सम्बन्धी कार्यों का व्यापक अनुभव हो, ही प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। अन्य कार्यालयों के समकक्ष पदों पर कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी के आवेदन पत्र प्रतिनियुक्ति हेतु स्वीकार/विचार नहीं किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

				2–प्रतिनियुक्ति की अवधि 03 वर्ष अथवा पदोन्नती के माध्यम से अभ्यर्थी प्राप्त होने तक, जो भी पूर्व में घटित हो। 3– वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें इत्यादि शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों/नियमों के अधीन देय होंगे। 4–शासनादेशसंख्या–21/XXVII(7)/18-50(14)/2017, दिनांक 23 जनवरी 2019 द्वारा प्रतिनियुक्ति भत्ता समाप्त किये जाने के फलस्वरूप प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा। 5–05 वर्षों की गोपनीय आख्याएं, जिनमें प्रविष्टि "उत्तम" से कम ना हो। 6–सतर्कता/जांच/अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित न होने एवं ना ही विचाराधीन होने संबंधी प्रमाण पत्र, जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो। 7–नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र।

1– इच्छुक कार्मिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र पर सम्पूर्ण विवरणों एवं वांछित अभिलेखों के साथ सक्षम अधिकारी से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित अपना आवेदन पत्र अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी–प्रशासन, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, सचिवालय परिसर, 04–सुभाष रोड़, देहरादून–248001 को **दिनांक** 25/05/26 **सांय 05.00 बजे तक** पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे। अन्य माध्यम से प्राप्त एवं निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

2– उक्त पदों हेतु मूल पद धारक ही आवेदन कर सकते हैं।

3– कार्मिकों के अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र (L.P.C) के अनुसार वेतन आदि देय होंगे।

(महावीर सिंह चौहान)
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी–प्रशासन।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रभारी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, यू0एस0डीएम0ए0 को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञापन को संबंधित समाचार पत्रों में अगले दिन प्रकाशित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

2– सिस्टम विशेषज्ञ, यू0एस0डी0एम0ए0 को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञापन को प्राधिकरण की वेबसाइट https://usdma.uk.gov.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

3– संबंधित पत्रावली।

(महावीर सिंह चौहान)
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी–प्रशासन।

Scanned with OKEN Scanner